संख्या-37/2016/ 809/एक-6-2016-15(12)/2016

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2016**

विषय- अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें -099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के अन्तर्गत बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा रू0 2,75,000-00 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2448/14 (बजट)-2052/16-17, दिनांक 02-08-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय की मद में कुल रू0 2,75,000-00(रू0 दो लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनरशि बचतों से पुनर्विनियोग (पुनर्विनियोग से सम्बन्धित प्रपत्र बी0एम0-9, भाग-1) के माध्यम से आहरण कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- उक्त व्यय नियमानुसार बजट मैनुअल तथा प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया जायेगा। अवशेष की स्थिति में धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

3- मंहगाई भत्ता एक बचनबद्ध मद है। अत: उक्त बचनबद्ध मद में व्यय के मद से होने वाले वित्तीय वर्ष 2016-17 के शेष माह का भुगतान सुनिश्चित कर लिया जाये एवं इस हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- उक्त धनराशि अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत की जा रही है। अत: इससे सम्बन्धित नियुक्ति विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक -2052 सचिवालय सामान्य सेवाये-099-राजस्व बोर्ड -03-राजस्व परिषद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय में संलग्नक में उल्लिखित मानक मद में सम्मुख उपलब्ध हो रही बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 809(1)/एक-6-2016, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद लेखा परीक्षा-1/2
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, (लेखा) राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रट लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7- वित्त(आय-व्यय)अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या का नाम: 52 राजस्व विभाग वित्तीय वर्ष 2016-17 (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
लेखाशीर्ष्क 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-03-मंहगाई भत्ता 2052-00-099-03-00-03	129302	275	275	275	129027
योग-	**129302**	**275**	**275**	**275**	**129027**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखा शीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीयस वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष् में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-099-राजस्व बोर्ड-03राजस्व परिषद-44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय 2052-00-099-03-00-44	100	375	275	275	375
योग-	100	375	275	275	375

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है -'
इस मद में पदों के रिक्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणें से है:-
उक्त मद में प्राविधानित धनराशि परिषद की आवश्यकतों से कम है अत: परिषद की आवश्यकता के दृष्टिगत पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

(3) प्रमाणि किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या : आरई 72 ई,5-822 दिनांक 17-08-2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(मनोज कुमार)
विशेष विशेष, राजस्व विभाग

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव, वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 809(2)/एक-6-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-14-बजट लखनऊ

2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।

3- निदेशक,वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों)

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव,
राजस्व विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।